कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 411 /आउशि/नि.का/08 भोपाल, दिनांक 17-11-08

प्रति,

1. **अतिरिक्त संचालक समस्त,**
   उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. **प्राचार्य,**
   समस्त शा0 महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

विषयः–अधिकारियों के द्वारा किये जाने वाले कार्यों का अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन।

–:0:–

आपको ज्ञात ही होगा कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप गत वर्ष से प्रत्येक 03 माह में अधिकारियों को दिये गये लक्ष्यों एवं उनकी पूर्तियों की समीक्षा वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा की जाती है तथा जहां कमी नजर आती है तो वरिष्ठ अधिकारी मार्गदर्शन देकर उसका हल प्रदाय करते हैं, जिससे अधिकारी को अपनी प्रतिभा के अनुरूप कार्य करने का पूरा मौका मिलता है।

शासन की भावना के अनुरूप उच्च शिक्षा विभाग के छात्रों की संख्या, अध्यापकों की संख्या, विषयवार सेक्सन एवं छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति के विवरण तथा महाविद्यालयों की अधोसंरचना की जानकारी आपसे चाही गयी थी। यह जानकारी एक साफ्टवेयर के माध्यम से भेजना था। यह साफ्टवेयर पूर्व से ही विभाग के स्वयं के स्तर से तैयार कर आपको ई–मेल के माध्यम से भेजा गया था। यही नहीं यह साफ्टवेयर विभाग की वैबसाईट पर भी उपलब्ध था।

इस साफ्टवेयर की सम्पूर्ण जानकारी भरे बिना यह साफ्टवेयर आगे काम नहीं करता हैं। दिनांक 10.10.08 को आपके द्वारा भेजी गयी जानकारी के आधार पर अर्द्धवार्षिक पर परफारमेंस की समीक्षा संचालनालय में की गयी। समीक्षा के परिणाम आपको ई–मेल से भेजे जा रहे हैं। आधी–अधूरी एवं गलत जानकारी भेजने के कारण अधिकांश अधिकारियों को ''सी'' श्रेणी प्राप्त हुई है जो साधारण टिप्पणी के रूप में अंकित की जाती है।

अतः मैं चाहूंगा कि आप अपने ई–मेल खोलकर इस साफ्टवेयर और इसमें भेजी जाने वाली जानकारी की प्रमाणिकता तय कर दिनांक 22.11.08 तक ई–मेल के माध्यम से इस कार्यालय को भेजें, अन्यथा जानकारी के अभाव में आपके समस्त अच्छे कार्यों से संचालनालय अनभिज्ञ रहेगा और आपकी इस वर्ष की गोपनीय चरित्रावली में अंतिम टीप ''सी'' श्रेणी अंकित की जायेगी।

यदि साफ्टवेयर के अध्ययन और उसमें जानकारी भरने में आपको कोई दिक्कत हो तो ई–मेल, कार्यालय के कम्प्यूटर प्रभारी को उनकी ई–मेल पते (compcellhedu@ mp.gov.in) पर, भेजकर तुरंत हल किया जाए, किन्तु 22 नवंबर 08 के बाद प्राप्त होने वाली किसी भी जानकारी को मूल्यांकन करते समय संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

कृपया इस योजना को सर्वोच्च प्राथमिक्ता दें।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. कमांक 412/आउशि/नि.का/08 भोपाल, दिनांक 17-11-08

प्रतिलिपिः–

1– प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2– समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
3– समस्त, कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश